



सिर्फ 10 दिन में फिर से 5 लाख तक का फायदा

FIXED
PRICENO MIDDLE-MEN
DIRECT TO
CUSTOMER

KEDIA
सेजस्थान

KOTHI & WALK-UP APARTMENT

अजमेर रोड, जयपुर

2 साइड ओपन कोठी और फ्लैट्स | 60 एमेनिटीज

PROPOSED FIXED RATE & RENTAL **1.5 लाख**

बड़ी-बड़ी कोठी बड़े-बड़े फ्लैट	अगस्त की रेट	सितम्बर की रेट	अक्टूबर की रेट	नवम्बर की रेट	दिसम्बर की रेट	जनवरी की रेट	पजेशन की रेट	POSSESSION DEC. 2025	पजेशन के बाद रेटल
युनिट टाइप	साइज	N.P.O. NEW PRODUCT OFFER	5% +	10% +	15% +	20% +	25% +		
2 BHK (GF) अपार्टमेंट	1350 Sq Ft	45 L	47.25 L	49.50 L	51.75 L	54 L	56.25 L	67.50 L	22,000
3 BHK (SF) अपार्टमेंट	1900 Sq Ft	50 L	52.50 L	55 L	57.5 L	60 L	62.50 L	75 L	25,000
3 BHK (FF) अपार्टमेंट	1900 Sq Ft	55 L	57.75 L	60.5 L	63.25 L	66 L	68.75 L	82.50 L	28,000
3 BHK BIG कोठी	2000 Sq Ft	60 L	63.00 L	66 L	69 L	72 L	75 L	90 L	30,000
4 BHK BIGGER कोठी	2325 Sq Ft	70 L	73.50 L	77 L	80.50 L	84 L	87.50 L	105 L	40,000
4 BHK BIGGEST कोठी	3200 Sq Ft	100 L	105 L	110 L	115 L	120 L	125 L	150 L	50,000





क्या महिला आरक्षण राजनीति से चुनावों में लाभ होगा भाजपा को

चुनावी विश्लेषकों की मानें तो ऐसी संभावना बहुत ही कम है

-श्रीनन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-
नई दिल्ली, 19 सितम्बर ऐसी संभावना दिखाई नहीं दे रही कि महिला आरक्षण राजनीति आगामी विधानसभा चुनावों तथा उसके बाद अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों से पूर्व भाजपा के पक्ष में अपना असर दिखायेगी हिमाचल प्रदेश के कार्नाटक में चुनावी हार के बाद वाराणसी नरेन्द्र मोदी की लोकसभा चुनावी में आ रही कमी को लेकर बन रही धारणा से चिंतित भाजपा का शीर्ष नेतृत्व विभिन्न प्रकार से जननात परवर्ती की लोकशिका कर रहा है-उदाहरण के लिये, भारत बनाम इंडिया बहस छेड़ना तथा समान आरामक संहिता (युनिफॉर्म सिविल कोड) का मुद्दा उठाना आदि। ऐसे प्रतीत होता है कि 2024 के चुनावों से सात महां पूर्व, महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश करने की निर्णय से आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक और अनुचित लाभ लेने की कोशिश है।

जहां इस विधेयक को पेश किये जाने के निर्णय की भाजपा सरकार की पूरी योजना अगले चार दिनों में उड़ागर हो जाए की तर्मी है, वहां इस समय

- सूत्रों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्र.मंत्री मोदी की लोकप्रियता के लिये ग्राफ को रोकने के लिए भाजपा नित नए शाफूके छोड़ रही है, जैसे भारत बनाम इंडिया आदि।
- एक सवाल यह भी है कि, क्या मोदी सरकार पूरी तैयारी के बिना ही वाहवाही लूटने के लिए बिल ले आई है।
- क्योंकि लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, तब ही दिया जा सकता है जब पहले जनगणना हो, जो 2026 में होनी है और फिर चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हो।
- हालांकि लोकसभा में पूर्ण बहुमत व राज्यसभा में पर्याप्त समर्थन के आधार पर सरकार यह बिल पारित करवा लेती पर इसका क्रियान्वयन चार साल बाद ही हो सकेगा।

कई प्रश्न भी पैदा हो रहे हैं यह विधेयक बिना काटे जाने का आरोप नहीं लगेगा? मोदी सरकार के अतिम वर्ष में ही क्यों लोकसभा में महिला आरक्षण पेश किया गया है? कोटा के अंदर कोटा विधेयक का यथार्थतः पारित होना के सिद्धांत के ढाँचे के अन्तर्गत, जनगणना प्रक्रिया के पूरे होने (2026 ओं.जी.सी. को शामिल किये जाने की में) के बाद में संभव हो सकता है। जनगणना का पारित होना इसलिये ऐसे निषेधों का बाद ही चुनाव क्षेत्रों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि, क्या परिसीमन का कार्य सम्पन्न होगा? मोदी सरकार पर समय से काफी पहले लोकसभा में भाजपा का जबरदस्त

बहुमत होने तथा राज्यसभा में भी पर्याप्त संख्यावल होने से ऐसी संभावना है कि, सरकार सासद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने में बाहर आरक्षण विधेयक को पारित होने में बाहर आरक्षण विधेयक को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही काटी गई राशि ने फीसदी व्याज सहित लौटाने के लिए दिए हैं।

■ स्व. रामानुज शर्मा 32 साल पहले, आई.जी. (जेल) के पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के दिन उन्हें 17 साल पूराने मामले में चाजशीट देकर पेंशन परिलाभ रोक दिए गए थे। हाइकोर्ट में 24 साल चले इस केस में अंततः स्व. शर्मा के सभी पेंशन परिलाभ मय व्याज लौटाने के आदेश दिए गए हैं।

जटिस अनुप डंड ने यह अदेश रामानुज शर्मा के उत्तराधिकारी राम मधुकर शर्मा व अन्य की आधिकारी पर दिए। याचिकाकाती की ओर से अदालत के बताया गया कि, रामानुज शर्मा तीस जून, 1991 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें 17 साल पूर्व एक मामले में 29 जून, 1991 को चाजशीट दी गई। जिससे उनके पेंशन परिलाभ रुक गए। बहाने की ओर से अदालत नहीं दी तो कि लोकसभा चुनावों में अकेली भाजपा की इसका पूरा-पूरा चुनावी लाभ मिलेगा।

जटिस अनुप डंड ने यह अदेश रामानुज शर्मा के उत्तराधिकारी राम मधुकर शर्मा व अन्य की आधिकारी पर दिए। याचिकाकाती की ओर से अदालत के बताया गया कि, रामानुज शर्मा तीस जून, 1991 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें 17 साल पूर्व एक मामले में 29 जून, 1991 को चाजशीट दी गई। जिससे उनके पेंशन परिलाभ रुक गए। बहाने की ओर से अदालत नहीं दी तो कि लोकसभा चुनावों में अकेली भाजपा की इसका पूरा-पूरा चुनावी लाभ मिलेगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नए संसद भवन में सबसे पहले “नारी शक्ति वंदन” विधेयक पेश हुआ

महिलाओं को संसद व विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले इस विधेयक पर कांग्रेस ने कहा यह “हमारा बिल है”

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-
नई दिल्ली, 19 सितम्बर राज्यसभा में 27 साल पहले पेश एवं पारित हो चुके महिला आरक्षण विधेयक को आज नये संसद भवन के प्रधम एडेंडा के रूप में लोकसभा में पेश किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, “इश्वर ने मुझे पवित्र कार्यों के लिये चुना है।”

पुराने संसद भवन के सेन्ट्रल हॉल में आधोंजित एक घंटे के समारोह में

- कांग्रेस के प्रवक्ता ने नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जाने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया।
- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बी. पी. चिंदंबरम ने कहा कि, यह विधेयक कांग्रेस व यू.पी.ए. सरकार के सहयोगी दलों की जीत है। जातीय है कि, यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था।
- कांग्रेस यह दावा करने में कोई कोर कर सरकार नहीं छोड़ रही है कि, यह बिल “हमारा” है।

पुराने संसद भवन को अलविदा कहकर को ब्रेय देने के मामले से सदैव कतराते प्रधानमंत्री मोदी सासदों को नये भवन में आरक्षण देने के लिये चुना है। आज देश के लोकान्तरी की ओर से विदेयक को प्रारंभ करने का पथर बताया, जबकि तथ्य यह है कि, यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था।

कांग्रेस यह दावा करने में कोई कोर कर सरकार नहीं छोड़ रही है कि, यह बिल “हमारा” है।

जातीय है कि, यह दावा करने के लिये चुना है। आज विदेयक को प्रारंभ करने के लिये चुना है। आज देश के लोकान्तरी की ओर से विदेयक को प्रारंभ करने का पथर बताया, जबकि तथ्य यह है कि, यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था।

विदेयक पेश किये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की।

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये चुना है। आज विदेयक को प्रारंभ करने के लिये चुना है। आज देश के लोकान्तरी की ओर से विदेयक को प्रारंभ करने का पथर बताया, जबकि तथ्य यह है कि, यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था।

विदेयक पेश किये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की।

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये चुना है। आज विदेयक को प्रारंभ करने के लिये चुना है। आज देश के लोकान्तरी की ओर से विदेयक को प्रारंभ करने का पथर बताया, जबकि तथ्य यह है कि, यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था।

विदेयक पेश किये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की।

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये चुना है। आज विदेयक को प्रारंभ करने के लिये चुना है। आज देश के लोकान्तरी की ओर से विदेयक को प्रारंभ करने का पथर बताया, जबकि तथ्य यह है कि, यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था।

विदेयक पेश किये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की।

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये चुना है। आज विदेयक को प्रारंभ करने के लिये चुना है। आज देश के लोकान्तरी की ओर से विदेयक को प्रारंभ करने का पथर बताया, जबकि तथ्य यह है कि, यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था।

विदेयक पेश किये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की।

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये चुना है। आज विदेयक को प्रारंभ करने के लिये चुना है। आज द

